अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्र0 09
दिनांक : 19/12/2023

Ph. No. : 0751242821
e-mail : profjngautam@gmail.com

प्रति,

प्राचार्य
समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय,
ग्वालियर–चम्बल सम्भाग,
ग्वालियर

विषय : रैगिंग की घटनाओं को रोकने बावत्।

महोदय,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पत्र क्रमांक No. F 1-15/2009(ARC) PT-III दिनांक 08 अगस्त 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राचार्य यह निश्चित करें कि महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की रैगिंग की घटना न होने पाये, इस हेतु –

1. प्रत्येक महाविद्यालय रैगिंग निरोधक दस्ता एवं रैगिंग निरोध समिति का गठन करे। यही दस्ता एवं समिति रैगिंग की रोकथाम के लिये सदैव सजग रहेगा।
2. सत्र के प्रारम्भ में ही सभी विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से यह वचन पत्र लें कि वे रैगिंग में भाग नहीं लेंगे और यदि छात्र/छात्रा किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग लेते हैं तो उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही उन्हें मान्य होगी।
3. छात्रावासों का समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जाये और जहाँ कहीं भी छात्र/छात्रा एकत्रित होते हैं, रैगिंग निरोधक दस्ता एवं रैगिंग निरोधक समिति के सदस्य उन पर सतत् निगाह रखें।
4. महाविद्यालय में जगह–जगह पर साईन बोर्ड लगाये जायें । जिस पर रैगिंग निरोधक दस्ता एवं रैगिंग निरोधक समिति के सदस्यों के नाम एवं दूरभाष नम्बर लिखे हों। जिससे छात्र/छात्राओं द्वारा समय पर रैगिंग से सम्बन्धित जानकारी दे सकें।
5. छात्र/छात्राओं को जागरूक करें कि रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। इसलिये किसी भी छात्र/छात्रा के साथ रैगिंग नहीं करना है।

आशा है आप भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में रैगिंग की घटना न होने पाये, इस हेतु आवश्यक कार्यवाही करें एवं उपरोक्त के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से विश्वविद्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(प्रो. जे.एन.गौतम)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं
संयोजक, विश्वविद्यालय स्तरीय समिति

प्रतिलिपि :

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
2. कुलसचिव के निजीसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

(प्रो. जे.एन.गौतम)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं
संयोजक, विश्वविद्यालय स्तरीय समिति